

अंचल अधिकारी प्रियंका का कार्यालय  
अभिलेख वाद संख्या- 389/16-12

वाद का प्रकार- बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

आरखण्ड सरकार के ज्ञापन-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज पुरुषजी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष संविव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खातगोपिते-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1925 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरगजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामदंदियों की जाच प्रारम्भ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अनिवार्य प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नानुकूल विवरणी वी भूमि :-

मौजा-प्र० ६/- थाना-प्रियंका-खाता राज्या-१३-, प्लॉट संख्या-७३-, रकबा-५७० एकड़ की भूमि जो गैरगजरुआ खास, अनाबाद बिहार (आरखण्ड) सरकार के खाते की राजकारी भूमि है, जिसकी जमावंदी उस मौजा के पंजी-॥ के जिल्द संख्या-२, के पृष्ठ संख्या-२५६-, पर जमावंदी रैयता मनमुक्त गाँव के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपराना उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विलङ्घ कायम जामदंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कारण की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सूजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना यांचनीय प्रतीत होता है।



अतएव, संबंधित जमावंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि वर्णों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद करने हेतु अनुशस्ति फिया जाय।

अभिलेख दिनांक-१६/१२/१६ को उपरक्षाप्रित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

प्रियंका  
अंचल अधिकारी


तिथि	पदाधिकारी आदेश	अन्युकृति
19/10/20	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक- 17/11/20 को उपस्थापित करें।</p>	 अधिकारी, निरसा।
17/11/20	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त। जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक- 05/12/20 को उपस्थापित करें।</p>	 अधिकारी, निरसा।
05/12/20	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद करने से संबंधित भूमि का रथलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-..... घोड़ा, मौजा नं- 25, साधिक खाता सं- 133, साधिक प्लॉट सं- 73, रकवा- 57 डॉ. जिसका हाल खाता सं- 373, हाल</p>	

प्लॉट सं0— 75.76

रक्खा— 57 इ० गत सर्व खतियान

एवं हाल सर्व खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक—01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार ~~जनभांग २१४~~ के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या—~~246~~ को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा—4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या—~~246~~ को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

  
अंचल अधिकारी,  
जिसा